



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232706
CG-DL-E-18012022-232706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]
No. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 18(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-शुल्क और सीमा-बोर्ड (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नियंत्रण के अधीन प्रमंडलों में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड प्रमंडल अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आरंभिक गठन:-** (1) नियमित आधार पर इन नियमों के आरंभ से ठीक पूर्व तारीख 18 दिसम्बर, 2013 को सवर्ग पुनर्गठन को पूर्व अभिलेखपाल (समूह 'ग' पद) का पद धारण करने वाले धारक, इन नियमों के उपाबंध के अनुसार नियुक्त किए जाने, के लिए ठीक समझे जाएंगे।
(2) इन नियमों के आरंभ के ठीक पूर्व अपनी अपनी श्रेणी में उपयुक्त निर्दिष्ट कार्मिक की नियमित निरंतर सेवा को सेवा में परिवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टिकरण और पेंशन की अवधि के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **विशेष उपबंध:-** (1) प्रत्येक काडर नियंत्रण प्राधिकारी (सीसीए) का स्वयं प्रथक काडर होगा जब तक कि अन्यथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निदेश ना करें।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, संबंधित प्रमंडल के मुख्य उत्पाद शुल्क आयुक्त या मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें और लेखबद्ध किए जाने के कारणों से प्रमंडल या विभाग में किसी पद को, उसी या सदृश पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा भरे जाने के लिए जो यथास्थिति अन्य प्रमंडल या विभाग या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन किसी कार्यालय के काडर के हों, आदेश द्वारा विहित कर सकेगा।

(3) अपने अपने जोन के नियंत्रक प्राधिकारी काडर से राष्ट्रीय सीमाशुल्क अकादमी की अनुमोदित संख्या और स्वापक निदेशालय दे सकता है या वापिस लेता है।

6. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अनुसूची □ पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	1822* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 ₹– 63,200 ₹)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।
(11)
रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएंगी जो उन व्यक्तियों के साथ हवलदार और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (एमटीएस) की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और करमश 9:1 अनुपात में हवलदार और एमटीएस के पद के लिए रिक्तियाँ आवंटित होनी हों।
टिप्पण 1:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
टिप्पण 2:- अवर श्रेणी लिपिक की श्रेणी में प्रोन्नत व्यक्तियों को कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- (1) एकल आयुक्तालय अर्थात् जिसमें सामान्य काडर नहीं हो। (i) मुख्यालय पर ज्येष्ठतम अपर आयुक्त - अध्यक्ष (ii) अपर / संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), जिसके न हो सकने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय पर उपलब्ध कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर / संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) - सदस्य	आवश्यक नहीं है।

(iii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के अपर आयुक्त - सदस्य (iv) आयकर उपायुक्त या सहायक आयकर आयुक्त - सदस्य टिप्पण: जहां उपरोक्त कर्मांक (i) से (iv) तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा। (2) संयुक्त आयुक्तालय अर्थात् दो या अधिक आयुक्तालय जिनका सामान्य कांडर हो। (i) प्रत्येक आयुक्तालयों में से ज्येष्ठतम अपर आयुक्त (उन में से ज्येष्ठतम) - अध्यक्ष (ii) कांडर नियंत्रण आयुक्तालय के अपर / संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय), जिसके न हो सके पर विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय पर उपलब्ध कोई अन्य ज्येष्ठतम अपर / संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) - सदस्य (iii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त - सदस्य (iv) आयकर उपायुक्त या सहायक आयकर आयुक्त - सदस्य टिप्पण: जहां उपरोक्त कर्मांक (i) से (iv) तक के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का न हो, वहाँ विभाग से बाहर का अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के समूह 'क' अधिकारी को विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	
---	--

[फा. सं. ए – 12018/6/2012-प्रशा.-III.बी
मुहम्मद आशिफ, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Excise and Customs (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Commissionerates under the control of the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Commissionerates, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial constitution. - (1) Personnel holding the post of Record Keeper (Group 'C' post) prior to Cadre Restructuring dated the 18th December, 2013 immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provision of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Special provision. — (1) Each Cadre Controlling Authority (CCA) shall have its own separate Cadre, unless otherwise directed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule#(1), the Chief Commissioner of Central Excise or Chief Commissioner of Customs having jurisdiction over the concerned Commissionerate, may, if he considers it necessary or expedient in the public interest so to do and subject to such condition as he may specify having regard to the circumstances of the case and for the reasons to be recorded in writing, order any post in the Commissionerate to be filled by absorption of persons holding the same or analogous post but belonging to the Cadre of another Commissionerate or any other office under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, as the case may be.

(3) Sanctioned strength of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics directorate is borne on and drawn from Cadre Controlling Authority of the respective zone.

6. Disqualification. — No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Lower Division Clerk.	1822* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19,900-Rs.63,200).	Non - selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment/promotion/deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation /absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.
8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Vacancies shall be filled by Departmental examination with those having three years regular service in the grade of Havaldar and Multi-Tasking Staff (MTS), and the vacancies are to be allocated to the post of Havaldar and MTS in the ratio of 9:1 respectively. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: Necessary training in computer applications will be imparted to promotees in the grade of Lower Division Clerk.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12	13
Group 'C' Departmental Promotion Committee: (I) Single Commissionerate i.e. having no common cadre: (i) The senior most Additional Commissioner at Headquarters Office – Chairman. (ii) The Additional/ Joint Commissioner, Headquarters, failing which any other senior most Additional/ Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member. (iii) Additional Commissioner of Central Excise/ Customs – Member.	Not applicable.

(iv) Deputy/ Assistant Commissioner of Income-Tax – Member. Note: Where none of the members at serial numbers (i) to (iv) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a Group ‘A’ officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee. (II) Composite Commissionerates i.e. two or more Commissionerates having common cadre: (i) The senior most Additional Commissioner from each of the Commissionerates (the senior most officer among them shall be the Chairman. (ii) The Additional/ Joint Commissioner Headquarters of the cadre controlling Commissionerates, failing which any other senior most Additional/ Joint Commissioner (Headquarters) available at the time of Departmental Promotion Committee Meeting – Member. (iii) Additional/ Joint Commissioner of Central Excise/ Customs – Member. (iv) Deputy/ Assistant Commissioner of Income Tax – Member. Note: Where none of the members at serial numbers (i) to (iv) above belongs to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, a Group ‘A’ officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a Member of the Departmental Promotion Committee.	
---	--

[F. No. A-12018/6/2012-AD.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.